# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री सुरेश कुमावत पिता भागीरथ कुमावत नहर के पास मोखमपुरा आजाद नगर भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :— 183 / 2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | —: निर्णय :—<br><br>1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br><br>2. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 28.10.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये।<br><br>3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र कमांक 09 दिनांक 02.01.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक 869 दिनांक 26.11.2025 से सूचना जरिये डाक के साथ—साथ अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय आज दिनांक 13—01—2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(जसमीत सिहं संधू)**<br>प्रथम अपीलीय अधिकारी<br>जिला कलक्टर<br>लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा<br>भीलवाड़ा | |